

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र अवधार कुलसंचित जीवाजी  
विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जाए व  
कि इसी अवधि प्राचिकारी के नाम से।  
उम्मीदवाल विषय पर यहे दूर्घ में पत्र  
अवधार हुआ हो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक  
अवश्य लिखा जाए जिससे लाभिता हो।



दाता : शून्यपाणी  
दूरभाष : (0751) 2341896  
(0751) 2442829  
फैक्स : (0751) 2341768

प्रेषक :  
कुलसंचित,  
जीवाजी विश्वविद्यालय  
ग्वालियर  
क्रमांक:एफ/सम्बद्धता/2009/ 4537

दिनांक: 03/02/12

## // सूचना //

जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर से सम्बद्ध आई.टी.एम. स्कूल ऑफ विजनेस सिटीॉली, ग्वालियर (0751-2432977) को  
सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित संचालित एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम कक्षा/पाठ्यक्रमों/विषयों की अस्थायी सम्बद्धता  
हेतु अनुशंसाएँ प्रदान करने के लिये सामानीय कुलपति महोदय/स्थायी समिति, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर ने विश्वविद्यालय  
अधिकारियम 1973 के परिवियम 27(10) के अन्वर्गत निम्नानुसार निरीक्षण समिति का गठन किया है :-

(1) प्रो. उमेश होलानी, आचार्य गाणिज्य एवं प्रबन्ध अध्ययनशाला, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर। (संयोजक)  
(0751-2442704)

(2) प्रो. एस.के. शुक्ला, आचार्य, अर्थशास्त्र अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

(3) प्रो. एस.के. द्विवेदी, आचार्य, पुरातत्व अध्ययनशाला, जी.वि.वि., ग्वालियर।

निरीक्षण समिति के सदस्यों से अनुरोध है कि वे परिवियम 27/28 के प्रावधानों के अनुरूप महाविद्यालय का प्रत्यक्ष निरीक्षण कर  
शुल्क, धरोहर राशि, वांछित शैक्षणिक/अवैश्वानिक स्टॉफ, प्राधिकृत संचय से प्राप्त अनुमति/अनापति प्रमाण-पत्र, भवन, क्रीड़ा परिसर एवं  
पाठ्यक्रम/आर्डिनेन्स तथा पिछले सत्र में दी गई शर्तों की पूर्ण भय प्रगाढ़ पत्र के तथा प्राचार्य/शैक्षणिक एवं अशैक्षणिक स्टॉफ की  
बिस्युक्तियों का प्रमाण एवं वेतन आदि के बारे में स्पष्ट विवरण/अनुशंसाएँ अंकित करें। महाविद्यालय प्राचार्य/अध्यक्ष सूचना पत्र प्राप्त होने  
के 30 दिवस के अन्दर निरीक्षण समिति संयोजक एवं सदस्यों से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण करायें। समिति संयोजक द्वारा विवेदन है  
कि वे उक्त निरीक्षित समय में निरीक्षण करें एवं प्रतिवेदन 07 दिवस में विश्वविद्यालय कार्यालय में जमा करें। निरीक्षण प्रतिवेदन जमा  
करने का उत्तरदायित्व निरीक्षण समिति / संयोजक का होगा।

समिति गठन का पत्र प्राप्त होने के बाद निरीक्षण में की गई देवी के लिए महाविद्यालय स्वयं उत्तरदाती होता। जिसकी सूचना  
आयुक्त, उच्च शिक्षा, भोपाल के भैज दी जायेगी। यदि महाविद्यालय 03 माह में निरीक्षण नहीं करता है तो समिति खत: विस्तृत हो  
जायेगी और पुनः निरीक्षण समिति गठन हेतु महाविद्यालय को दण्ड स्वरूप रु. 25,000/- जमा करने होंगे। तत्पश्चात् ही निरीक्षण  
समिति का पुर्वगठन किया जायेगा। परिवियम 27(11)(7) के अनुसार सम्बद्धता प्राप्त किए बिना छात्रों को प्रवेश देना अवैधानिक है।

निरीक्षण समिति के साथ सम्बद्धता शाखा में कार्यालय अधीक्षक / कार्यालय सहायक पत्रकाली लेकर जावेंगे तथा महाविद्यालय की  
वस्तुसुलिखि से निरीक्षण समिति को अवगत करायेंगे। निरीक्षण समिति के सदस्यों को टी.ए. / डी.ए. / गान्डेश महाविद्यालय द्वारा देय  
होगा।

कुलसंचित

### प्रतिलिपि :-

- समर्पित सदस्यों की ओर सूचनार्थी एवं आवश्यक कार्यालयी हेतु।
- प्राचार्य/अध्यक्ष, संबंधित महाविद्यालय की ओर भेजकर आग्रह है कि समिति के संयोजक से संपर्क स्थापित कर निरीक्षण  
दिनांक निरीक्षित कर महाविद्यालय का निरीक्षण करायें। उक्त निरीक्षण 15 दिवस के अन्दर कराने की व्यवस्था करें।
- आयुक्त उच्च शिक्षा, सतपुङ्ग भवन, भोपाल
- कुलसंचित, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर
- कुलपति के सचिव / कुलसंचित के निरीक्षण सहायक, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

सहायक कुलसंचित (सम्बद्धता)

# जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर

समर्पण पत्र व्यवहार कुलसचिव जीवाजी विश्वविद्यालय के नाम से ही किया जावे जा सकता है।  
सम्बन्धित विषय पर यदि पूर्ण में पत्र व्यवहार कुआ थो तो पत्र क्रमांक एवं दिनांक अवश्य लिखा जावे जिससे संविधा हो।



ग्राम : यूनीवरिटी  
 दूरभाष : 0091-(0751) 2442801  
 (ग्वालियर)  
 2442462 (निवास)  
 फैक्स : (0091-0751-2341768  
 E-mail : jureg\_gwl@rediffmail.com  
 Website : <http://www.jiwaji.edu/>

प्रेषक :  
 कुलसचिव,  
 जीवाजी विश्वविद्यालय  
 ग्वालियर

क्रमांक : एफ/सम्बद्धता/2012/0999

दिनांक : ५.६.१२

## // अधिसूचना //

विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा 26(i)(v) एवं 24(xii) के अन्तर्गत कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 02 मई, 2012 के पद क्रमांक (05) के विनायानुसार आई.टी.एम. स्कूल ऑफ विजनेस सियौली, ग्वालियर को सत्र 2011-12 के लिये प्रस्तावित/संचालित एम.बी.ए. द्वितीय वर्ष, पाठ्यक्रम के लिये अस्थाइ सम्बद्धता लिन्च शर्तों के साथ प्रदान की जाती है।

### शर्तें/प्रतिबंध :-

1. महाविद्यालय 30 जून, 2012 तक परिनियम 28(17) के अन्तर्गत शिक्षकों की नियुक्ति अवश्य करें।
2. महाविद्यालय परिनियम 27-28 का पालन करें।

आदेशानुसार  
 3 मई 2012  
 कुलसचिव

### प्रति,

1. ग्राहक, आई.टी.एम. स्कूल ऑफ विजनेस सियौली, ग्वालियर
2. निदेशक, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद्, इंडिया गांधी योग परिसर, इन्ड्रप्रस्थ एस्टेट, नई दिल्ली
3. आयुक्त, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, सतपुड़ा भवन, भोपाल।
4. क्षेत्रीय अतिरिक्त संचालक, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, ग्वालियर-चंबल संभाग, मोती महल परिसर, ग्वालियर।
5. उप-कुलसचिव (परीक्षा/गोपनीय) जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर।
6. अधीक्षक, परीक्षा कक्ष क्रमांक-03, जीवाजी विश्वविद्यालय, ग्वालियर की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपकुलसचिव (सम्बद्धता)